संख्या -22/2020/1955/86-2019-57(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ दिनांकः 30 अगस्त, 2019

विषयः नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों की मात्रा के निर्धारण हेतु प्राविधिक समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधिसूचना सं0-1868/ 86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 के नियम-23(4) में निम्नलिखित प्राविधान हैः-

"जिलाधिकारी, उपनियम (1) के अधीन घोषित क्षेत्र या क्षेत्रो को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ई-निविदा /ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के लिये निर्धारित दिनांक के पूर्व न्यूनतम बोली या प्रस्ताव के निर्धारण के लिये खनिज की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि जिलाधिकारी वर्ष में एक बार शासन द्वारा गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण आवष्यकतानुसार करायेगा। पक्षकारों के मध्य असहमति की दशा में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मामले का विनिष्चय करेगा और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।"

2. उक्त प्राविधान के दृष्टिगत नदी तल में उपलब्ध उपखनिजों की मात्रा का निर्धारण करने हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्राविधिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1	जिलाधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो अपर जिलाधिकारी के स्तर से कम न हो।	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग	सदस्य
3	सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
5	प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	सदस्य
6	जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य-सचिव

अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नदी तल स्थित उपखनिजों के पट्टा क्षेत्रों के उपखनिज की मात्रा का निर्धारण मानसून सत्र की समाप्ति पर वर्ष मे एक बार उक्तानुसार गठित प्राविधिक समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा0 रोशन जैकब)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1955(1)/86-2019-57(सा0)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/लोक निर्माण/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-799/एम-1ए 15/2019 (VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में इस निदेश के साथ प्रेषित कि समिति के समस्त सदस्यों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
4. प्राविधिक समिति के समस्त सदस्य गण। (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।)
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव

http//shasanadesh.up.nic.in